इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जनवरी 2011—माघ 5, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. एफ-13-243-2010-एक-4.—मध्यप्रदेश में भ्रमण करने वाले ''राज्य अतिथियों'' के सत्कार तथा सुविधाओं के विस्तार को शासित करने वाले नियमों से सम्बन्धित विद्यमान समस्त शासकीय आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, ''राज्य अतिथियों'' से संबंधित समस्त मामलों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है:—

एक.—संक्षिप्त नाम एवं लागू होना

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 2011'' है. ये नियम, उन अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं पदधारियों को लागू होंगे, जिन्हें किसी भी स्थान पर जब वे मध्यप्रदेश राज्य में भ्रमण पर हों तो इन नियमों के अधीन ''राज्य अतिथि'' के रूप में मान्य किया गया हो.

(2) राज्य में भ्रमण करने वाले भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों एवं विदेशी सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों की सत्कार व्यवस्था के लिये सामान्य प्रशासन विभाग उत्तरदायी होगा.

(3) सूची-अ में उल्लिखित अत्याधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जब वे मध्यप्रदेश राज्य में कहीं भी भ्रमण पर हों, उनके भ्रमण के स्वरूप को ध्यान में लाए बिना स्वागत, परिवहन, भोजन एवं आवास के प्रयोजन हेतु राज्य अतिथि के रूप में माना जाएगा.

(4) सूची-ब में उल्लिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों/गणमान्य व्यक्तियों एवं पदधारियों को, जब उनका भ्रमण मध्यप्रदेश सरकार के आमंत्रण पर हो अथवा केवल इस राज्य शासन के मामलों से संबद्ध हो उनके स्वागत, परिवहन, भोजन एवं आवास के प्रयोजन हेतु राज्य अतिथि के रूप में माना जाएगा.

(5) किसी भी अशासकीय व्यक्ति/गणमान्य व्यक्ति को, जो सूची-अ एवं ब में सम्मिलित नहीं हों, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विशेष आदेश से ''राज्य अतिथि'' के रूप में माना जाएगा.

(6) तथापि ऐसे विभाग जो किसी गणमान्य व्यक्ति, समिति, आयोग इत्यादि को राज्य अतिथि के रूप में माने जाने के इच्छुक हों, वे मुख्यमंत्री, या सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन से आदेश चाहने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका भ्रमण मध्यप्रदेश राज्य के मामलों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा राज्य के हित में है.

(7) सम्पर्क अधिकारी-भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप-प्रधानमंत्री के भ्रमण के मामले में, भ्रमण करने वाले गणमान्य व्यक्तियों के संबंधित कार्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. अन्य मामलों में, सामान्यतः दौरा कार्यक्रम प्राप्त होने पर राज्य शासन का सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, सम्पर्क अधिकारी के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को नामांकित तथा प्रतिनियुक्त करेगा तथा इसकी सूचना राज्य शिष्टाचार अधिकारी को देगा.

(8) अन्य राज्यों से भ्रमण पर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को राज्य अतिथि की सुविधाएं केवल पारस्परिक आधार पर ही दी जाएंगी.

(9) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप-प्रधानमंत्री के मामले में, परिवार के सभी सदस्यों (चाहे आश्रित हों या अन्यथा) तथा दल के साथियों (प्रेस और मीडिया को छोड़कर) को निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.

(10) किसी अतिथि के साथ आने वाले परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी एवं बच्चों) को राज्य के व्यय पर सत्कार की सुविधा दी जाएगी, यद्यपि उन्हें राज्य अतिथि के रूप में नहीं माना जाएगा.

(11) सूची-अ में के राज्य अतिथि के साथ व्यक्तिगत स्टाफ एवं विमान चालक दल/वाहन चालक सहित अधिकतम चार व्यक्तियों को तथा सूची-ब में के राज्य अतिथि के साथ आने वाले अधिकतम दो व्यक्तियों के भोजन, आवास एवं परिवहन के लिये राज्य के व्यय पर आतिथ्य सत्कार किया जाएगा, यद्यपि उन्हें राज्य अतिथि के रूप में नहीं माना जाएगा.

(12) केन्द्र सरकार के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं अन्य राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, संवैधानिक आयोगों/समितियों/ मण्डलों/अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य अतिथि के रूप में मान्य नहीं होंगे, जब वे किसी चुनाव कार्य के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश में तब भ्रमण पर हों, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो.

(13) **राज्य अतिथि को सुविधाएं दिए जाने की अवधि.**—सूची-अ में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों को राज्य अतिथि की सुविधाएं देने की अवधि प्रत्येक अवसर पर तीन दिन से अधिक नहीं होगी तथा सूची-ब में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों के लिये प्रत्येक अवसर पर दो दिन से अधिक नहीं होगी. तत्पश्चात् समस्त सुविधाएं प्रचलित नियमित प्रभारों के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएंगी. इस अवधि की मध्यप्रदेश में प्रथम आगमन के समय से गणना की जाएगी. तथापि राज्य सरकार उपयुक्त मामलों में इस नियम के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी.

भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप-प्रधानमंत्री को राज्य में उनके रुकने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान राज्य अतिथि माना जाएगा.

सूची ''अ''

राज्य अतिथि नियम—1 (3) देखिए

- भारत के राष्ट्रपति.
- भारत के उपराष्ट्रपति.
- भारत के प्रधानमंत्री.
- अन्य राज्यों के राज्यपाल.
- भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री.
- भारत के उप प्रधानमंत्री.
- भारत के मुख्य न्यायाधीश.
- लोक सभा अध्यक्ष.
- कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री और उप मंत्री, भारत सरकार.
- केन्द्रीय और अन्य राज्य सरकारों के संसदीय सचिव.
- अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री.
- अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री-पारस्परिक आधार पर.
- उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार.
- नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा और राज्य सभा.
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश.
- मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल.
- भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश.
- राज्य सभा के उप सभापति.
- लोक सभा के उपाध्यक्ष.
- भारत के अटार्नी जनरल.
- कैबिनेट सचिव.
- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक.
- केन्द्र शासित प्रदेशों के लेफ्टीनेंट गवर्नर.
- सेना प्रमुख, पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक.
- फील्ड मार्शल.
- अन्य राज्यों की विधान परिषदों तथा विधानसभाओं के अध्यक्ष.
- मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्र एवं अन्य राज्य.
- अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश.
- अन्य राज्यों के लोकायुक्त.

- केन्द्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त.
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त.
- भारत सरकार के सचिव.
- अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव.
- भारत रत्न पुरस्कार विजेता.
- भारत के सॉलीसीटर जनरल/अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल.

सूची ''ब''

राज्य अतिथि नियम—1 (4) देखिए

- विधान सभा तथा विधान परिषद अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के नेता प्रतिपक्ष.
- उप सभापति, राज्य विधान परिषद.
- उपाध्यक्ष, राज्य विधान सभा.
- अध्यक्ष, संसदीय समिति जो प्रदेश सरकार के साथ शासकीय प्रयोजन के लिए भ्रमण पर हो.
- अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयोग.
- अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग.
- अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग.
- सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार.
- सूचना आयुक्त, भारत सरकार.
- विभिन्न आयोग/अधिकरण/समितियों के अध्यक्ष और सदस्य जिनको केन्द्रीय मंत्री/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सचिव, भारत सरकार का दर्जा प्राप्त हो.
- ऐसे अधिकारी जो सचिव, भारत सरकार के समतुल्य श्रेणी के हों.
- भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सचिव, स्वतंत्र भ्रमण के दौरान.
- महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा.
- भारत सरकार द्वारा अनुशंसित विदेशी गणमान्य व्यक्ति जिनके भ्रमण का खर्च भारत सरकार के सत्कार अनुदान मद से नहीं होता है.

दो—अगवानी

भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री के, मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर उनके भ्रमण के दौरान, स्वागत एवं बिदाई की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा अधिकथित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

भोपाल में अगवानी—भ्रमण करने वाले, सूची-अ एवं ब में वर्णित गणमान्य व्यक्तियों की स्टेशन/विमान तल पर अगवानी एवं बिदाई के प्रबंध राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा राज्य सत्कार कार्यालय के अधिकारियों, जिला प्रोटोकाल अधिकारी, भोपाल, समुचित श्रेणी के पुलिस अधिकारी, संबंधित विभाग के संपर्क अधिकारी, कलेक्टर, भोपाल, स्टेट गैरेज, पर्यटन विभाग, पुलिस एवं जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय से किए जाएंगे.

जिलों में अगवानी—गणमान्य व्यक्तियों की अगवानी और बिदाई के समुचित प्रबंध संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय से किए जाएंगे.

तीन—सुरक्षा

भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तथा उप-प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रबंध, भारत सरकार के स्थाई आदेशों के अनुसार राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा किए जाएंगे. अन्य राज्य अतिथियों की सुरक्षा के प्रबंध भारत सरकार द्वारा एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे.

चार—आवास

राज्य अतिथि को, यथासंभव, भोपाल में व्ही.आई.पी. अतिथिगृह/सर्किट हाउस में, जिलों में सर्किट हाउसों में, और जहां ये नहीं हों, वहां रेस्ट हाउस या अन्य शासकीय अतिथि गृह में ठहराया जाएगा. अतिरिक्त आवास की आवश्यकता होने पर राज्य शिष्टाचार अधिकारी/जिला प्रोटोकाल अधिकारी द्वारा राज्य अतिथि की श्रेणी के अनुसार उपयुक्त सुविधाओं वाले पूर्व से ही तय दरों वाले होटलों में व्यवस्था की जाएगी. सामान्यत: एक राज्य अतिथि को एक कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा और एक अतिरिक्त कक्ष निजी स्टाफ तथा पी.एस.ओ. को श्रेणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा. अतिरिक्त कक्ष, यदि अपेक्षित हो, तो भुगतान आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

पांच—भोजन प्रबंध

राज्य अतिथि की रूचि एवं आवश्यकतानुसार भोजन का यथासंभव प्रबंध किया जाएगा. मदिरा को छोड़कर, राज्य अतिथि के भोजन संबंधी समस्त व्ययों का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा.

यदि राज्य अतिथि राज्य में उसके रूकने के दौरान अपने स्वयं के कुछ मेहमानों के लिये सत्कार की सुविधा की वांछा करते हैं तो ऐसे सत्कार का व्यय उनके द्वारा ही वहन किया जाएगा.

सूची ''अ'' में के राज्य अतिथि के लिए निजी स्टाफ और विमान चालक दल/वाहन चालक सहित अधिकतम चार व्यक्तियों का तथा सूची-ब में के राज्य अतिथि के साथ आने वाले अधिकतम दो व्यक्तियों का भोजन प्रबंध राज्य शासन के व्यय पर उपलब्ध कराया जाएगा.

छह—परिवहन

राज्य अतिथि के आगमन पर रेल्वे स्टेशन/विमानतल पर एक उपयुक्त वाहन उनको शहर में एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य अतिथि के निजी स्टाफ के कर्मचारिवृन्द हेतु एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा. यदि अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता हो तो वह भुगतान आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा.

यदि मध्य प्रदेश राज्य से बाहर ट्रेन अथवा विमान पकड़ने हेतु वाहन की आवश्यकता हो जो जिला प्रोटोकाल अधिकारी/राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा सम्यक् अधिप्रमाणन कर दिए जाने के पश्चात् ही उसकी अनुमति दी जाएगी. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री के भ्रमण के दौरान परिवहन व्यवस्था भारत सरकार द्वारा जारी स्थायी निदेशों के अनुसार की जाएगी.

सात—दूरभाष

किसी राज्य अतिथि से उसके रूकने के परिसर में उपलब्धता के अनुसार स्थानीय/एसटीडी दूरभाष काल के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा. तथापि, किसी राज्य अतिथि को आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. किसी राज्य अतिथि को उनके रूकने के परिसर में उपलब्धता के अनुसार फोटोकापी/फैक्स/इन्टरनेट का नि:शुल्क उपयोग करने की अनुमति होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2011

क्र. एफ-13-243-2010-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-13-243-2010-एक-4, दिनांक 21 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 21st January 2011

F-13-243-2010-I-4.—In supersession of all the existing Government orders relating to the rules governing the extension of courtesies and facilities to the " State Guests" visiting Madhya Pradesh, the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following rules to regulate all matters relating to the "State Guests".—

I—SHORT TITLE AND APPLICATION

(1) These rules may be called "The Madhya Pradesh State Guest Rule, 2011". These rules shall apply to the VVIPs/VIPs, dignitaries and officials who are treated as "State Guests" under these rules, when they visit any place in the State of Madhya Pradesh.

(2) The General Administration Department will be responsible for protocol arrangements when dignitaries from the Government of India, other State Governments and Foreign Governments visit the State.

(3) The VVIPs/VIPs mentioned in the list "A" shall be treated as State Guests for the purpose of reception, transport, boarding and lodging when they visit any place in the State of Madhya Pradesh irrespective of the nature of their visits.

(4) The VIPs/dignitaries and officials mentioned in the list "B" shall be treated as State Guests for the purpose of reception, transport, boarding and lodging when their visit is at the invitation of the Government of Madhya Pradesh or with the affairs pertaining to this State Government only.

(5) Any non-official/dignitary who does not figure in the list A and B shall be treated as "State Guest" with the specific orders of the Chief Minister, Government of Madhya Pradesh.

(6) However Departments desirous of treating any dignitary, committee, commission, etc., as State Guest will ensure that such a visit is intimately connected with the affairs of the State of Madhya Pradesh and is in the interest of the State, before seeking orders of the Chief Minister or General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

(7) **Liaison Officer.**—In case of visit of the President of India, the Vice-President of India, Prime Minister of India, Deputy Prime Minister of India, liaison officer will be appointed as per directions received from the concerned office of the visiting dignitary. In other cases, generally, on receipt of tour programme, concerned administrative department of the State Government will nominate and depute one senior officer to act as Liaison Officer under intimation to State Protocol Officer.

(8) State Guest facilities will be extended to dignitaries visiting from other States strictly on reciprocal basis only.

(9) In Case of the President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, Deputy Prime Minister of India, all the members of the family (whether dependent or otherwise) and the party accompanying (except press and media) will be provided free boarding and lodging facilities.

(10) Members of the family (spouse and children) accompanying a State Guest will be given hospitality at State expense, though they will not be treated as State Guests.

(11) Personal staff and the air crew/driver up to maximum number of four accompanying a State Guest in List-A and maximum number of two in List-B will be given hospitality at State expense for boarding, lodging and transportation, though they will not be treated as State Guests.

(12) Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers of the Central Government and the Chief Ministers/ Ministers/Ministers of the State/Deputy Ministers of other State Governments, Chairman and Members of Constitutional Commissions/Committees/Boards/Tribunals will not be treated as State Guests when their visit to Madhya Pradesh is in connection with any Election work when Model Code of Conduct is in force.

(13) **Period for providing State Guest facilities.**—The period for providing State Guest facilities will not exceed three days for the dignitaries mentioned in List-A on each occasion and two days for the dignitaries Mentioned in List-B on each occasion. Thereafter, all facilities will be provided on payment of regular charges as in vogue. The period shall be counted from the time of first arrival in Madhya Pradesh. However, the Government may relax provisions of this rule in suitable cases.

The President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, Deputy Prime Minister of India will be treated State Guests during the entire period of their stay in the State.

LIST-A

State Guests vide rule I(3)

- The President of India
- The Vice-President of India
- The Prime Minister of India
- Governor of other states
- Former President, Vice-President and Prime-Minister.
- Deputy Prime Minister of India
- Chief Justice of India
- Speaker of the Lok Sabha
- The Cabinet Ministers/Ministers of State and Deputy Ministers of the Government of India.
- The Parliamentary Secretaries of Central and other State Governments.
- Chief Ministers/Dy. Chief Ministers of other States/U.T.
- Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers of other States and Union Territories on reciprocal basis.
- Deputy Chairman of the Planning Commission of India
- Leader of Opposition of Lok Sabha and Rajya Sabha
- Judges of Supreme Court
- Former Governors of Madhya Pradesh
- Former Chief Justice of India
- Deputy Chairman of the Rajya Sabha
- Deputy Speaker of the Lok Sabha
- Attorney-General of India
- Cabinet Secretary
- Comptroller and Auditor General of India
- Lieutenant Governors of U.T.

- Chiefs of Staff holding the rank of full General or equivalent rank.
- Field Marshals.
- Chairman of the Legislative Councils and Speakers of the Legislative Assemblies of other States.
- Chief Information Commissioner, Govt. of India and other States.
- Chief Justice of the High Courts of other states.
- Lokayukta of other States.
- Chief Election Commissioner and Election Commissioner of Union.
- Central Vigilance Commissioner.
- Secretaries to the Government of India.
- Chief Secretaries to other State Governments/U.T.
- Bharat Ratna Awardees.
- Solicitor General / Additional Solicitor General of India.

LIST-B

State Guests vide rule I (4)

- Leader of Opposition of State Legislative Assembly and Council and in Union Territories .
- Deputy Chairman, State Legislative Council.
- Deputy Speaker, State Legislative Assembly.
- Chairman of the Parliamentary Committees visiting Madhya Pradesh for official purpose with State Government.
- Chairman and Members, Finance Commission.
- Chairman and Members, National Human Rights Commission.
- Chairman and Members, National Minorities Commission.
- Chairman and Members, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission.
- Chairman and Members, National Women Commission.
- Chairman and Members, Nationa1Commission for Protection of Child Rights.
- Chairman. and Members, National Backward Class Commission.
- Chairman and Members, National Commission for Linguistic Minorities.
- Chairman, Khadi and Village Industries Commission.
- Chairman and Members, Union Public Service Commission.
- Members, Planning Commission of India
- Information Commissioners, Government of India.
- Chairman and Members of Commission /Tribunal/Committees holding the status of Union Minister / Supreme Court Judge /Secretary, Govt. of India.
- Officers holding equivalent rank of Secretaries in the Government of India .
- Secretary to the President, the Vice President, the Prime Minister of India,visiting independently. .
- Secretary General Lok Sabha/ Rajya Sabha.
- Foreign dignitaries recommended by the Government of India, when expenditure on visits is not debitable to the hospitality grant of Govemment of India.

II—Reception

During the visits of the President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India in any place in Madhya Pradesh State, reception and farewell will be arranged as per guidelines laid down by the Government of India.

- **Reception in Bhopal.**—Arrangements for reception and send off will be made by State Protocol Officer for.visiting dignitaries mentioned in list A and B at the railway station/airport in coordination with officers of State Hospitality Office, District Protocol Officer, Bhopal , a Police Officer of suitable rank, a Liaison Officer from the department concerned, Collector Bhopal, State Garage, Tourism, Police and Public Relations Department.

- **Reception in Districts**.—The Collector of the concerned district in coordination with Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police and Officers of other Departments shall make appropriate arrangements to receive and see off the dignitaries.

III—Security

Security arrangements for the President, the Vice-President, the Prime Minister, the Deputy Prime Minister of India will be made by, the Home Department of the State Government as per standing orders of the Government of India. For other State Guests security arrangements will be made in accordance with the instructions issued by the Government of India and the Govemment of Madhya Pradesh from time to time.

IV— Accommodation

A State Guest will, as far as possible, be accommodated in the VIP Guest House/ Circuit House in Bhopal, Circuit House in the Districts and, where these do not exist, in the Rest Houses or other Government Guest Houses. In case additional accommodation is required it will be provided by State Protocol Officer/District Protocol Officer in the hotels at pre-negotiated rates of suitable facility to the rank of the State Guest. Normally one State Guest will be provided one room and one additional room shall be provided to personal staff and security according to rank. Additional rooms if required shall be provided on payment basis.

V— Catering

Catering will as far as possible be arranged according to the taste and. requirement of the State Guest. All boarding expenses of a State Guest. will be paid by the State Government except for alcoholic drinks.

If during his/her stay in State, a State Guest wishes to provide hospitality to some of his own guest, the expenses on such hospitality will be met by him/her.

Personal staff and the air crew/driver upto maximum number of four for State Guest in List-A and maximum number of two in List-B accompanying a State Guest will be provided catering at State expense.

VI—Transport

A suitable vehicle will be provided to State Guest on arrival at the railway station/airport for his / her use in town and neighbouring areas. One extra vehicle will be provided for personal staff of the State Guest. If an additional vehicle is required it will be provided on payment basis.

If a vehicle is required for transport outside the State of Madhya Pradesh in neighbouring locations to board train/ flight, it will be permitted after due authentication. by District/State Protocol Officer.

Transport arrangements during visit of the President, the Vice President, the Prime Minister, the Deputy Prime Minister of india will be made as per standing orders of the Government of India.

VII—Telephone

No charges will be recovered from a State Guest for local/STD telephone calls as per availability in the premises of his stay. However no State Guest will be provided ISD facilities. A State Guest will be allowed to use photocopy/ fax/internet free of charge as per availability in the premises of his stay.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.